

DUTIES OF TRAFFIC INSPECTORS IN CIRCLES

Area Supervision

Reach the circle areas by 8.00 am everyday and carryout the following:-

- i. Check the attendance of staff and brief them about the schedule duties for the day, VIP and other traffic arrangements to be carried out, instructions given by the senior officers, prosecution to be undertaken etc.
- ii. Check the turnout of the staff and ensure that they carry challan books and notice books. On a rainy day, raincoats should be carried by each policeman.
- iii. Identify vehicles that have broken down on the roads during night time, which may cause traffic congestion and get them removed.
- iv. Identify road digging/construction works carried out by the civic agencies which are causing hindrance to the smooth flow of traffic and provide alternative road space for movement of traffic.
- v. Identify dumping of waste/malba on the roads causing traffic congestion and get them removed.
- vi. Identify water logged areas, pot-holes, damaged roads, uprooted trees, broken electricity wires etc and get the same removed/rectified.
- vii. Identify defective traffic light signals which require repair/replacement by signal maintaining agencies and get the same rectified expeditiously.
- viii. Identify any other impediment on the road likely to cause traffic hindrance and arrange for their removal.

A report on the above points shall be given to Traffic Control Room. Similar exercise shall be carried out between 5 PM and 6 PM. In case the TI is unavailable due to leave etc., the senior most ZO of the circle be deputed by the TI to carry out the above mentioned duties.

Planning for night checking

Manpower be allocated for night checking. They should be briefed on the task to be carried out as per the instruction from senior officers.

Prosecution

TIs be well aware of Motor Vehicles Act, Central Motor Vehicles Rules, Delhi Motor Vehicles Rules, Rules of the Road Regulations and Delhi Control of Vehicular Traffic on Roads and street regulations. TIs to see that their subordinate staff is also thorough with traffic laws.

TIs shall carry out the review of prosecution on daily, weekly, fortnightly and monthly basis and the staff to be briefed on daily basis for qualitative and quantitative prosecution for controlling fatalities on roads and improving road discipline.

TIs should constitute special teams of ZOs and supporting staff to carry out special drives and night checking.

TIs should update and maintain a list of commercial transport vehicles pending for detention on permit suspension u/s 86 M.V.Act and hand over

copies to the ZOs and staff for impounding the same. If the list is exhaustive, he will arrange special drives to detain such vehicles.

Accident analysis

Carry out regular analysis of fatal and simple accidents and identify vulnerable areas, victims of accidents, offending vehicles which contribute to these accidents and work out strategies by holding offence specific and vehicles specific special drives, imparting road safety education, improvement in civic infrastructure, etc.

Visit the spot of every fatal accident and ascertain the causative factors. If possible interrogate the drivers of offending vehicles to know the real causative factors behind the fatal accident and submit his views along with the daily fatal accidents reports.

On analysis, if TIs find that fatal accidents are as a result of faulty design of roads, bad condition of roads, inadequate/non-functional/absent street lighting, unauthorized speed breakers or other factors falling under the purview of civic agencies, the concerned TI shall immediately contact and liaise with the concerned officials of the civic agencies to get the deficiencies removed.

Proposals of suspension/cancellation of permits of commercial vehicles involved in fatal accidents and cancellation of driving licenses of motorists causing fatal accidents be sent to ACP/T-RSC and concerned Regional Transport Authorities expeditiously.

Prevention

- **Strict Enforcement:** Traffic laws should be enforced strictly so that people do not resort to violate traffic rules.
- **Proper Regulation:** People break traffic rules in order to save upon their time. Strategies should be developed and applied to smoothen the flow of traffic so as to reduce the waiting time of road users.
- **Mobile Patrolling:** Traffic personnel should make people aware of their presence by remaining mobile in between corridors and intersections so that they do not indulge in traffic violations.
- **Qualitative Prosecution:** Prosecution should have a demonstrative effect. Violator should be first warned through PA system, compelled to stop and prosecuted after proper briefing regarding the repercussions of the violation he has indulged in.
- **Education:** Sensitization of road users through road safety awareness campaigns is very important. Education should be imparted in such a manner that they are compelled to be self-disciplined.
- **Maintenance of Road Infrastructure:** Traffic Police should take the onus of improvising the road infrastructure in coordination with the civic agencies responsible for providing the same such as street lighting repair of broken roads, installation of road signs, signals, etc.

- **Special Drives & Surprise checks:** Special drives should be organized in order to put a check on different violations such as overspeeding, drunken driving etc. In addition surprise checks should be organised at odd hours to put a curb on violators.
- **Use of traffic calming devices:** Speed breakers, rumble strips, Cat's eye, etc are certain traffic calming devices that should be used at appropriate places.

Traffic Light Signals/Blinkers

Familiarize with the traffic signaling equipments such as fixed type signals, blinkers, vehicle actuated signals, pelican signals, LED signals, digital reverse counters, synchronization of signals, etc.

Carry out signal time audit of all signals to ensure that signals are functioning on optimum output. Signals shall be set on blinking mode during night time as per need.

History sheets of all the signals/blinkers should be maintained as per instructions. The painting of signals, cleaning of glasses etc. should be ensured as per contract and mention of the same shall also be made in respective history sheet.

Parking and Encroachment removal

- PCR to report obstruction on major corridors
- Identification of parking areas and strict implementation
- Removal of obstructively parked vehicles, heavy fines for idle parking
- Printing and use of parking stickers
- Use of clamps to jam the tyres
- Removal of encroachment
- Control over taxi stands
- Relocation of bus stands
- Parking of catering vans, parking at hotels

Towing activity by cranes

Govt./Private cranes be used to tow away the broken down and unauthorisedly parked vehicles, specially on major corridors and market.

Staff deployed on cranes not to indulge in malpractices and proper accounting of every vehicles towed away by the cranes be done.

In case the broken down vehicle cannot be removed by the available cranes, the TIs shall arrange for a heavy private crane and get the vehicle removed at the earliest. For this purpose each TI shall keep the details of nearest crane providers, DMRC and NHAI officials.

Liaison with Civic Agencies

Maintain a list of all relevant officers of civic agencies, such as MCD, PWD, NDMC, Delhi Jal Board, BSES, NDPL, DMRC, DCB, DTC,, NHAI, etc. including their names, designation, office addresses, office telephone and

mobile numbers. TIs shall liaise with these officers and pursue traffic development works in their respective areas. All civic work be carried out with his knowledge and prior NOC of Traffic Police. If such construction/digging activity is noticed by him, he shall take action against the concerned agency.

All civic development work proposals be discussed before implementation with senior officers. Traffic diversion etc. be planned in advance for every stage to ensure smooth flow of traffic. The civic agencies must adhere to the conditions imposed at the time of grant of NOC by Traffic Police. The concerned civic agency shall make proper lighting arrangements and marshals for safe and smooth flow of traffic. Proper boards/signages shall be displayed.

Short Term Traffic Management: The purpose is to improve flow of traffic and ensure safety thereby fixing temporary problems. The Traffic Police can from time to time according to the need of the place or particular area, make slight modifications to traffic plan involving the local residents, municipal corporations, etc.

1. Making one way
2. Closing cuts
3. Banning movement of heavy vehicles
4. Controlling slow moving vehicles
5. Controlling pedestrian movement
6. Contra flow of traffic
7. Segregating T Point for free flow of straight traffic
8. Putting bollards for keeping left turn free

Motorcycle Patrol and Traffic staff deployed on PCR vans

Motorcycles have been issued to HCs especially for chase and challan duties and TIs should ensure that these motorcycles are not used for any other tasks. The staff deployed on motor cycle be briefed, checked for availability, mobility and carrying out effective prosecution on roads.

Assess the performances of ZO's deployed on duties on PCR vans on daily basis.

Road Safety Activities

- Road safety education be imparted to school children, slum dwellers, drivers of organized and unorganized sectors, vulnerable road users, cyclists and rickshaw pullers, etc.
- Visits to Traffic Training Parks be organized for school children
- The school authorities should be told that school owned buses and private transport hired by the schools adhere to the general traffic rules and Supreme Court guidelines. The school authorities should also be issued instructions not to allow TSRs/Cycle rickshaws overloaded with school children to ply.

- Road Safety literature shall be distributed in the area
- The Exhibition Vans of Traffic Police should be **called in** circle areas along with the staff of Road Safety Cell to educate motorists **and** other road users.
- Majority of victims of road accidents are pedestrians and cyclists and hence special efforts should be made to educate them about road discipline
- TIs should ensure deployment and utilization of the appointed Traffic Wardens, Student Traffic Volunteers and Road Safety Patrol for traffic regulation duties.
- TIs shall ensure that the complaint cards are available in circle office, Traffic assistance booths, prepaid booths and the same are distributed at places like cinema halls, Railway Stations, Airports, Commercial complexes, market places, ISBTs, etc.

VVIP Movements/Arrangements

Ascertain the events/VVIP movements during the day and deploy and brief staff. Collect information on major traffic arrangements likely to occur in near future and plan the detailed traffic arrangements in advance and inform the Function Branch/traffic for issuing necessary traffic arrangements.

Contingency Plans/Diversions

Work out contingency/diversion plans for all major roads so that the traffic is immediately diverted in case of need. The neighbouring TIs should also be aware about these plans as diversion may affect the traffic situation of the adjoining area.

Maintenance/use of Modern Equipments/Gadgets

Familiarize yourself with the Area Traffic Control system, Traffic Management Centre, Traffic Monitoring System, Computer Centre, Accident Research Cell, Red Light and Speed Check Violation Cameras, Disaster Management Vehicles, Interceptors, Radar Guns, Breath Analysers, Simulators, SMS Query facilities, Delhi Traffic Police Websites, Notice Branch, TE Branch, Signal Cell, Cheque Depository Machine, etc. The TIs shall ensure proper use, maintenance and safe custody of all available modern traffic equipment/gadgets. He shall also ensure that equipments available in the circle are entered in govt. property register and defective equipments should be got replaced/repared immediately.

TIs shall ensure that adequate numbers of barricades, ropes, bollards, cross belts, light bars, gloves, breath analysers, radar guns, wheel clamps, etc. are available in their Circle and their optimum use shall be ensured.

Upkeep of circle records

All registers be maintained correctly and be kept up to date. The map of the circle area depicting the important installations/**landmarks** shall be displayed in the circle office. Record be kept in **arranged and** presentable manner. Old record which is no more required be got **destroyed**.

The TIs shall hold a meeting of all ZO's and lower subordinates once in a week to check their challan books/notice books to ensure that the entries pertaining to violation, section of law, ingredients of challan are correct and whether the lower subordinates have filled up notices giving proper codes of violation, vehicle, colour, make, place, time, etc. In addition, they will carry out surprise checks of challan and notice books of the ZO's and lower subordinates to find out the entries as per directions are being carried out.

TIs shall ensure that the instructions issued by Hon'ble Supreme Court of India, Delhi High Court, PHQ and senior officers are maintained in separate files bearing headings and are followed in true letter and spirit.

Management of Facilities

TIs shall ensure proper maintenance of circle office, Traffic Assistance Booths, pedestals, pre-paid booths, etc. and arrange for their painting, repairs, etc. They shall also simultaneously check the taxi stands, TSR halt and go stands, tempo stands, for identifying any irregularity and take suitable action.

Equipment

Speed Radar Gun: It is an instrument used to measure the speed of an oncoming vehicle. By holding it at a distance of 100-300 m it reads and shows the actual speed at which the vehicle is being driven. If the rate of speed displayed by the meter exceeds the prescribed speed limit, the information is passed on to the team of personnel ahead and the vehicle is intercepted and the driver is prosecuted.

Alchometer: The instrument is being used to measure the content of alcohol. The breath of the driver is analysed for the purpose. The driver is asked to blow into the pipe attached to the instrument and the instrument in turn displays the content of alcohol intake. If the content of alcohol exceeds the prescribed limit, prosecution is carried out.

Interceptor:- The vehicle is fitted with latest gadgets to keep a check on violators. There is a video camera affixed inside the vehicle which can shoot violations within a range of half kilometer. Laser based speed radar is attached to a computer, which detects over speeding by vehicles, captures the image of the violating vehicle along with the complete detail. The data is recorded in the computer and shown to the violator at the time of prosecution.

Disaster Management Vehicle: The vehicle is fully equipped with all necessary equipment to deal with any emergency situations on road resulting in traffic hazards such as accident, storm, etc. Instruments such as wood cutter, iron cutter, air filling machine, welding machine, high mast lights at a height of 20 ft. capable of illuminating an area of half kilometer radius is available in the vehicle.

Mobile Exhibition Van:- An effective medium of imparting road safety education to general public and school children. It consists of display panel, projector, VCD player, Television and generator for intermittent power supply. School children/general public is educated regarding road safety norms through photographic exhibition and film shows.

Disposal of References/Correspondence/Court Matters

The TIs shall ensure timely and speedy disposal of the complaints/references/ official papers. They shall ensure that inordinate delays are not caused and the disposal is relevant, up to the mark and within the stipulated period. They shall also ensure proper pairavi of pending court cases, writ petitions, civil suits, etc. with information to Legal Cell/Traffic.

Maintenance of Pit and Safe Custody and disposal of vehicles impounded U/S 66 DP Act and MV Act

Pits be barricaded and round the clock deployment of traffic staff be made. Proper account of all impounded vehicles be maintained.

Vehicles impounded u/s 66 DP Act and MV Act be disposed off expeditiously. Vehicles impounded be kept in safe custody of MHC (Circle) and staff deployed for the purpose.

Attending to the complaints of RWAs/MWAs and General public

Maintain regular liaison with the office bearers of MWAs/RWAs of their circle areas and take remedial steps for redressal of their grievances.

Manpower Management

- Motivation through reward and punishment
- Being fair in dealing with staff, duty roaster
- Briefing and debriefing – review of the work of subordinate staff – ZO's, crane staff etc.
- Accountability
- Visibility
- Training and orientation
- Response and effectiveness
- Willingness to use modern equipment

**MINUTES OF THE MEETING HELD ON 09.05.2014 AT 10 A.M.,
CONVENED BY THE SPECIAL COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFIC,
DELHI AT TRAFFIC HEADQUARTERS, DEV PRAKASH SHASTRI
MARG, PUSA, NEW DELHI.**

A meeting was convened by the Spl. C.P./Traffic, Delhi on 09.05.2014 at 10 a.m., at Traffic Headquarters, Pusa, New Delhi which was attended by the following officers. Jt. C.P./Traffic and Addl. CsP/DCsP/Traffic/Ranges were also present in the meeting:-


ACsP	Inspectors	Sub-Inspector (Working as TI)	Total
14	51	2	67

1. All were informed about the advantages of Traffic Mobile Application which has been down-loaded by **approximately** by 2000 mobile users. Following directions were **also given**:
2. **One** should not **Indulge** in corrupt practices and should serve in a **better** manner **without** any consideration and should behave properly with the public.
3. All were directed to examine the estimates of traffic signals, regular monitoring of their functioning in the area and if found not working properly; get the same repaired on priority. In case, there is a delay, the matter should be brought to the notice of ACP/T/TE, who will pursue the matter with the firm and get the need full done.
4. All were directed to take possession of newly allotted 10 plots for 'Pit' and get the boundaries covered with barbed wire. The electricity connections may be got installed in all old/new 'Pits'.
5. The field functionaries should examine the accident prone areas and take all remedial measures after taking up the matter with civic agencies.
6. The performance of Face-book should be improved and all complaints should be replied in a time frame manner.
7. The staff deployed on intersections should concentrate in regulating the traffic instead of indulging in malpractices.
8. **Concerned T.I. shall be held responsible**, if his subordinates are found indulging in corrupt practices and severe departmental action will be taken against the T.I. There is a need to watch the activities of staff, deployed in outer circles, particularly in the night.
9. T.I. should remain available in the area and also attend/organize meetings with RWAs/School Management, local shop keepers, etc. at different levels to sort out the issues related to the traffic.
10. All officers should carry out surveillance in their areas and submit the report in respect of staff found indulging in malpractices.
11. ✓ There is a 'Charter of Duties' of T.Is. ACP/TE was asked to again circulate the same and all T.Is should work accordingly and submit the reports regularly.

12. Concerned T.I. should take maximum staff and also seek assistance from local police, if they apprehend any law & order problem during prosecution, particularly in outer areas.
13. The issue regarding operation of private buses from different areas of NCT of Delhi to other states was discussed. It was decided to take up the matter at appropriate level.
14. T.I. (Modernization) was asked to expedite the development of the software for rotation of staff to avoid subjectivity and favoritism.
15. There should be minimum staff in the Traffic Lines for route duty and those who were not found involved in corruption should be transferred to other duties/circles..
16. Biometric Systems needs to be installed at Traffic Headquarters and Traffic Lines for proper maintenance of attendance record of the staff.

At the end, the Spl. C.P./Traffic asked every one to carry out his duties with sincerity, honesty, politeness, firmness.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.


 20/5
 (S. S. YADAV)
 ADDL. COMMISSIONER OF POLICE.
 TRAFFIC, DELHI.

No. 12878-948/HAA/Traffic, Delhi Dated 20/05/2014.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Addl. Commissioners of Police, Traffic, Delhi
2. All Dy. Commissioners of Police, Traffic, Delhi.
3. S.O. to C.P., Delhi for information of the officer, please.
4. All ACsP/Traffic, Delhi.
5. S.Os/PAs to Spl. C.P./Traffic and Jt. C.P./Traffic, Delhi for information of the officers, please.
6. All Inspectors, Traffic, Delhi.
7. HAG/Traffic to process the case for the purchase of Biometric Systems.
8. All Head Asstts., Traffic Headquarters, Delhi.

सर्कल में ट्रेफिक इंस्पेक्टरों की ड्यूटी

क्षेत्र का निरीक्षण

प्रतिदिन सुबह 8 बजे तक सर्कल में पहुँचना तथा निम्न कार्य करना:-

- I. स्टाफ की हाजिरी जाँचना तथा उन्हें पूरे दिन की ड्यूटी के बारे में ब्रीफ करना, वीआईपी एवं अन्य यातायात प्रबंधों को पूरा करना, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना, अभियोजन के उत्तरदायित्व को पूरा करना आदि।
- II. स्टाफ का टर्नआउट चैक करना तथा सुनिश्चित करना कि उनके पास चालान बुक व नोटिस बुक उपलब्ध है। वर्षा ऋतु वाले दिन, प्रत्येक के पास रेनकोट होना चाहिए।
- III. ऐसे वाहनों की पहचान करना जो रात में खराब हो गए हों जिस वजह से जाम लग रहा हो तथा उन वाहनों को हटवाना।
- IV. ऐसे रास्तों को चिन्हित करना जिन पर सिविक एजेन्सी के वर्कर काम कर रहे हैं तथा इस वजह से यातायात सुचारु रूप से ना चल पा रहा हो। ऐसी जगह पर यातायात की सुचारु व्यवस्था करने के लिए वाहनों को चलाना तथा वैकल्पित मार्ग पर मोड़ना।
- V. सड़क पर पड़े कूड़े/मलबे को हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करना।
- VI. ऐसी सड़कों को पहचानना जहाँ पानी जमा हो, गड्ढे हो गए हों, सड़क टूटी हो, बिजली के तार टूटे पड़े हों, उन्हें ठीक करवाना।
- VII. खराब पड़ी ट्रेफिक लाईट्स का पता लगाकर उन्हें तुरन्त ठीक करवाना।
- VIII. कोई भी अन्य बाधा का पता लगाएं जिसकी वजह से ट्रेफिक रुकता हो, उसे दुरुस्त करवाना।

उपरोक्त बिन्दुओं पर रिपोर्ट बनाकर ट्रेफिक कन्ट्रोल रूम को दी जाएगी। इसी तरह यह कवायद शाम 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच की जाए। यदि छुट्टी या अन्य कारण से ट्रेफिक इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है तो सर्कल के वरिष्ठतम जेडओ को उपरोक्त ड्यूटियों को करने के लिए ट्रेफिक इंस्पेक्टर द्वारा तैनात किया जाना चाहिए।

रात्रि-जाँच की योजना

रात्रि-जाँच हेतु पर्याप्त पुलिसबल लगाया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार स्टाफ को रात्रि-जाँच के बारे में ब्रीफ करना चाहिए।

अभियोजन

मोटर वाहन अधिनियम, केन्द्रीय मोटरवाहन नियम, दिल्ली मोटरवाहन नियम, सड़क नियम एवं वाहन आवागमन नियन्त्रण नियमों से ट्रेफिक इंस्पेक्टर

भली-भांति परिचित होना चाहिए। ट्रेफिक इंस्पेक्टर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये की उसका स्टाफ भी यातायात कानूनों की जानकारी रखता है।

ट्रेफिक इंस्पेक्टर, दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्धमासिक एवं मासिक आधार पर अभियोजन की समीक्षा को क्रियान्वित करेंगे तथा सड़क हादसों में कमी व सड़क नियमों की अनुपालना हेतु दैनिक आधार पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक अभियोजन के लिए स्टाफ को ब्रीफ करेंगे।

ट्रेफिक इंस्पेक्टर को जेडओ की विशेष टीम बनानी चाहिये तथा विशेष अभियान एवं रात्रि जाँच में स्टाफ का सहयोग करना चाहिये। ट्रेफिक इंस्पेक्टर को ऐसे व्यावसायिक वाहनों की लिस्ट बनानी चाहिए व इसे अपडेट करना चाहिए जो अवरोधन दंड के लिए धारा 86 मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट निलम्बन की सूची में आते हों तथा इसकी प्रति जेडओ तथा स्टाफ को जल्दी हेतु दें। यदि सूची लम्बी हो तो विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को पकड़ा जाए।

दुर्घटना विश्लेषण

घातक एवं साधारण दुर्घटनाओं का नियमित विश्लेषण किया जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया जाए। पीड़ितों, दोषियों व उनके वाहनों को चिन्हित करके पकड़ा जाए तथा सड़क सुरक्षा शिक्षा को बढ़ाया जाए। जहाँ भी घातक दुर्घटना हुई हो वहाँ जाया जाए तथा कारणों का पता लगाया जाए। यदि संभव हो तो दोषी ड्राइवर से पूछताछ करें ताकि दुर्घटना का कारणों का पता लगाया जा सके व दैनिक घातक दुर्घटना रिपोर्ट्स के साथ-साथ उसके बयान को भी दर्ज किया जाए।

विश्लेषण करने पर, यदि ट्रेफिक इंस्पेक्टर यह पाता है कि घातक दुर्घटना सड़क की बुरी स्थिति की वजह से हुई है तो सम्बन्धित सिविक एजेंसी से सम्पर्क करके अनाधिकृत ब्रेकर या अन्य रुकावट हटवाई जाए, प्रकाश का पर्याप्त प्रबंध करवाया जाए तथा किसी भी रुकावट या बाधा को दूर किया जाए।

घातक दुर्घटनाओं में संलिप्त व्यावसायिक वाहनों के परमिट निलम्बन या रद्द करने के प्रस्ताव व मोटरसाइकिल चालकों के लाइसेंस को रद्द करने के प्रस्ताव को स.आ.पु./याता.-आरएससी व सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को शीघ्रता से भेजे जाने चाहिये।

रोकथाम

- सख्त अनुपालना : यातायात-कानूनों का सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिये ताकि लोग इन कानूनों का उल्लंघन ना कर सकें।
- उचित विनियमन : अधिकांश लोग यातायात के नियमों को इसलिए तोड़ते हैं ताकि वे अपना समय बचा सकें। अतः ऐसी रणनीति बनाई

जानी चाहिए जिससे सुचारु यातायात व्यवस्था चलती रहे तथा सड़क उपयोग कर रहे व्यक्तियों को अधिक इंतज़ार ना करना पड़े।

- **मोबाइल पेट्रोलिंग** : सड़क पर वाहनों द्वारा गश्त लगाकर आम जनता को अपनी उपस्थिति का आभास कराते रहना चाहिये जिससे कि वे यातायात नियमों का उल्लंघन करने का साहस ना कर सकें।
- **गुणात्मक अभियोजन** : अभियोजन का प्रदर्शनात्मक प्रभाव पड़ना चाहिये। नियम तोड़ने वालों को सर्वप्रथम पीए सिस्टम के माध्यम से चेतावनी देनी चाहिए, रुकने के लिए मजबूर करना चाहिये तथा जिस नियम का उसने उल्लंघन किया है उसके बारे में उचित जानकारी देकर अभियोग चलाना चाहिये।
- **शिक्षा** : सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। शिक्षा इस तरह से दी जाए कि वे स्वयं नियमों का अनुपालन करने लगे।
- **सड़क संरचना का रख-रखाव** : ट्रेफिक पुलिस को सिविक एंजेन्सी के साथ मिलकर सड़क की संरचनाओं जैसेकि सिग्नल लाइट्स, सड़क चिन्ह, टूटी सड़क आदि की मरम्मत करवानी चाहिये।
- **विशेष अभियान एवं औचक निरीक्षण** : विभिन्न उल्लंघनों जैसेकि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग आदि की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाए जाने चाहिये। इसके अलावा, नियम तोड़ने वालों की धरपकड़ हेतु औचक निरीक्षण का आयोजन किया जाना चाहिये।
- **यातायात को शांत करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल** : उपयुक्त स्थानों पर स्पीड ब्रेकर्स, रम्बल स्ट्रिप्स, केट्स आई आदि ट्रेफिक कामिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

ट्रेफिक लाइट सिग्नल्स/ब्लिंकर्स

ट्रेफिक सिग्नल उपकरण जैसेकि फिक्सड सिग्नल, ब्लिंकर्स, वाहन सक्रिय सिग्नल, मोड़ सिग्नल, एलईडी सिग्नल, डिजीटल रिवर्स काउंटर्स, सिग्नल का सिंक्रनाइजेशन आदि की जानकारी होनी चाहिये। सिग्नलों को सुचारु रूप से कार्य करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर ऑडिट होते रहने चाहिये। रात के समय सिग्नल्स, ब्लिंकिंग मोड़ पर आवश्यकतानुसार रखने चाहिये। निर्देशानुसार सभी सिग्नल्स/ब्लिंकर्स की हिस्ट्री शीट्स बनाई जानी चाहिये। सम्बन्धित हिस्ट्री शीट्स में ही उनके रख-रखाव जैसेकि सिग्नल की पेन्टिंग, शीशों की सफाई आदि रखनी चाहिये।

पार्किंग एवं अतिक्रमण हटाना

- बड़े कोरीडोर पर रुकावट की रिपोर्ट पीसीआर को दें।
- पार्किंग एरिया की पहचान कर इसे सख्ती से लागू किया जाए।

- ऐसे वाहन जो इस तरह पार्क कर दिये गए हों जिससे बाधा उत्पन्न होती हो उन्हें भारी जुर्माना लगाकर वहाँ से हटाने की व्यवस्था की जाए।
- पार्किंग स्टीकर की छपाई एवं इस्तेमाल किया जाए।
- टायर को जाम करने वाले क्लेम्प्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- अतिक्रमण हटाया जाए।
- टेक्सी स्टेण्ड पर नियन्त्रण रखा जाए।
- बस स्टैंड को पुनर्स्थापित किया जाए।
- क्रेटरिंग वेन की पार्किंग एवं होटल के बाहर पार्किंग पर नज़र रखी जाए।

क्रेन द्वारा वाहन उठाना

महत्वपूर्ण जगहों जैसेकि बड़े कॉरिडोर एवं बाजारों में अनाधिकृत रूप से पार्क कर दी गई गाड़ियों/खराब गाड़ियों को सरकारी/निजी क्रेन द्वारा उठाया जाना चाहिये। क्रेन पर तैनात स्टाफ ऐसा हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो तथा उठाए गए वाहनों का पूरा हिसाब-किताब रखे। यदि उपलब्ध क्रेन से, खराब वाहन हटाया ना जा सके तो टीआई को बड़ी प्राइवेट क्रेन का प्रबंध करना चाहिए तथा वाहन को जल्द से जल्द वहाँ से हटाना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए टीआई को क्रेन उपलब्ध कराने वाली निकटतमकम्पनियों जैसेकि डीएमआरसी एवं एनएचएआई का ब्यौरा रखना चाहिये।

सिविक एजेन्सी से सम्बंध बनाना

सम्बन्धित सिविक एजेन्सी जैसेकि एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, एनडीपीएल, डीएमआरसी, डीसीबी, डीटीसी, एनएचएआई आदि के अधिकारियों की सूची, उनके पदनाम एवं टेलीफोन नम्बर, कार्यालयी पता सहित रखना चाहिये। टीआई इन अधिकारियों के सम्पर्क में रहेंगे तथा अपने सम्बन्धित क्षेत्र में सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखेंगे। सभी सिविक वर्क उसके संज्ञान में हों तथा यातायात पुलिस का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हों। यदि कोई भी कार्य बिना अनुमति के हो रहा हो तो सम्बन्धित एजेन्सी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

सभी प्रकार के सिविक वर्क को शुरू करने से पहले इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर लें। यातायात को सुचारु रूप से चलाते रहने के लिए किसी भी अवसर पर, यातायात को पहले से ही अन्यत्र डायवर्ट कर देना चाहिये। यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय सिविक एजेन्सी को नियमों का पालन करना चाहिये। यातायात के सुचारु प्रबंध हेतु

सम्बन्धित एजेन्सी उचित प्रकाश एवं सुरक्षा के इंतजाम करेगी। बोर्ड/सिग्नल्स प्रदर्शित किये जाने चाहिये।

अल्पावधि यातायात प्रबंध

इसका उद्देश्य छोटी-मोटी समस्याओं का निवारण करते हुए सुचारु यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। समय-समय पर सुविधा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं:-

1. वन-वे कर देना।
2. कट बंद करना।
3. भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाना।
4. धीरे चलने वाले वाहनों को नियंत्रित करना।
5. पैदल चलने वालों की आवाजाही को नियंत्रित करना।
6. यातायात प्रवाह को नियंत्रित करना।
7. सीधे यातायात के स्वतंत्र प्रवाह हेतु टी पॉइन्ट अलग करना।
8. लेफ्ट टर्न फ्री करने के लिए सड़कबंदी लगाना।

पीसीआर वेनों पर तैनात यातायात स्टाफ एवं मोटरसाइकिल गश्त

पीछा करने एवं चालान इयूटी के लिए प्रधान सिपाहियों को मोटर साइकिल दी गई हैं तथा टी-आई को सुनिश्चित करना चाहिये कि इन मोटरसाइकिलों का किसी अन्य काम में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मोटरसाइकिल पर तैनात स्टाफ को सड़क से सम्बन्धित सावधानियों एवं इयूटियों के बारे में ब्रीफ करना चाहिये। पीसीआर वेन पर तैनात जेडओ की इयूटी का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

सड़क सुरक्षा गतिविधियाँ

- स्कूली बच्चों, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों, संगठित एवं असंगठित सेक्टर के ड्राइवरों, अतिसंवेदनशील सड़कों का इस्तेमाल करने वालों, साइकिल सवारों व सिक्का वालों को सड़क सुरक्षा शिक्षा दी जानी चाहिये।
- स्कूली बच्चों के लिए स्थापित ट्रेफिक ट्रेनिंग पार्कों का दौरा करना चाहिए।
- स्कूल प्राधिकरण को बताया जाना चाहिये कि स्कूली बसों आम यातायात नियमों व उच्चतम न्यायालयों के निर्देशों का पालन करें। स्कूल प्राधिकरण को निर्देश जारी किये जाएं कि वे टीएसआर/साइकिल रिवक्सा मे क्षमता से अधिक बच्चों को ना बैठाएं।
- क्षेत्र में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित साहित्य का वितरण किया जाना चाहिए।
- मोटरसाइकिल चालकों व अन्य सड़क उपयोग करने वालों को शिक्षित करने के लिए सर्कलों में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्टाफ के साथ ट्रेफिक पुलिस की प्रदर्शनी वेनों को बुलाया जाना चाहिये।

- सड़क दुर्घटना में ज्यादातर पैदल चलने वाले व साइकिल सवार ही शिकार बनते हैं इसीलिए सड़क नियमों के बारे में उन्हें शिक्षित करने के विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
- ट्रेफिक इंस्पेक्टरों को नियुक्त ट्रेफिक वार्डन्स, विद्यार्थी यातायात स्वयंसेवकों व यातायात विनियमन कर्तव्यों हेतु सड़क सुरक्षा की तैनाती एवं उपयोगिता को सुनिश्चित करें।
- ट्रेफिक इंस्पेक्टर सुनिश्चित करना चाहिये कि सर्कल के कार्यालयों, यातायात सहायता बूथों व प्रीपेड बूथों पर शिकायत कार्ड्स उपलब्ध हैं तथा सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कामर्शियल कॉम्प्लेक्स, मार्किट्स एवं बस अड्डों आदि पर इनका वितरण किया जा रहा है।

वीवीआईपी मूवमेंट/प्रबंध

दिन में वीवीआईपी आवाजाही का पता लगाकर स्टाफ की तैनाती करके उन्हें ब्रीफ किया जाए। भविष्य में होने वाले यातायात प्रबंधों का पहले ही पता लगाकर इस बारे में प्रकार्य शाखा को आवश्यक यातायात प्रबंध करने के लिए सूचित करें।

आकस्मिक योजना/डायवर्जन

सभी बड़े मार्गों को डायवर्ट करने की योजना बनाई जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर यातायात को तुरन्त डायवर्ट किया जा सके। पड़ोस के ट्रेफिक इंस्पेक्टरों को भी इस बारे में सूचित करें, क्योंकि ट्रेफिक डायवर्ट करने से सटे इलाके की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

आधुनिक उपकरणों का उपयोग एवं रख-रखाव

ऐरिया ट्रेफिक कंट्रोल सिस्टम, ट्रेफिक मेनेजमेंट सेन्टर, ट्रेफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, कम्प्यूटर सेन्टर, एक्सीडेंट रिसर्च सेल, रेड लाइट एवं गति उल्लंघन केमरा, आपदा प्रबंधन वाहन, इन्टरसेप्टर, रेडार गन्स, ब्रेथ एनालाइसिस, सिम्प्यूटर्स, एसएमएस पूछताछ सुविधा, दिल्ली पुलिस वेबसाइट्स, नोटिस ब्रांच, टीई ब्रांच, सिग्नल सेल, चेक डिपोजिटरी मशीन आदि के बारे में आपको पता होना चाहिये। सभी आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी ट्रेफिक इंस्पेक्टरों की होगी। वे ये भी सुनिश्चित करें कि उपलब्ध उपकरणों की प्रविष्टि, सरकारी सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज कर दी गई है तथा खराब उपकरणों को तुरन्त बदला जाना चाहिये। ट्रेफिक इंस्पेक्टर सुनिश्चित करेंगे कि सर्कल में बेरीकेड्स, रस्सी, बोलाई, क्रॉस बेल्ट, लाइट बार, दस्ताने, ब्रेथ एनालाइसिस, रेडार गन, व्हील क्लेम्प आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।

सर्कल रिकॉर्ड्स का अनुरक्षण

सभी रजिस्ट्रों को सही से रखा जाना चाहिए तथा इन्हें अप-टू-डेट करते रहना चाहिये। सर्कल कार्यालय में, महत्वपूर्ण स्थानों/चिन्हों का दर्शाता हुआ सर्कल ऐरिया का नक्शा, प्रदर्शित किया जाना चाहिये। रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखा जाए। पुराने रिकॉर्ड्स, जिनकी अब आवश्यकता न रह गई हो, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिये।

ट्रेफिक इंस्पेक्टर सप्ताह में एक बार सभी जेडओ व निम्न अधीनस्थों के साथ बैठक करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी चालान बुक में उल्लंघन, कानून के खंड, चालान के संघटक सही हैं तथा निम्न अधीनस्थों ने नोटिस बुक में उल्लंघन की उचित संहिता, वाहन, रंग, कम्पनी, स्थान, समय आदि ठीक से भरा है या नहीं। इसके अलावा, वे चालान का औचक निरीक्षण भी करेंगे तथा जेडओ व निम्न अधीनस्थों की नोटिस बुक भी जाँचेंगे यह देखने के लिए कि इसमें प्रविष्टियां नियमानुसार ही की जा रही हैं।

ट्रेफिक इंस्पेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हेतु अलग से हेडिंग वाली फाइल बनाई गई है तथा इसका पूरी ईमानदारी से पालन किया जा रहा है।

सुविधाओं का प्रबंधन

ट्रेफिक इंस्पेक्टर, सर्कल कार्यालय, यातायात सहायता बूथ, पेडैस्टल, प्री-पेड बूथ आदि का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे तथा उनकी पेन्टिंग व रिपेयरिंग के प्रबंध करेंगे। इसके साथ-साथ वे टेक्सी स्टैंड, टीएसआर हाल्ट व गो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड की नियमित जाँच करेंगे तथा कोई भी अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे।

उपकरण :-

स्पीड रडार गन : इसका उपयोग वाहन की गति मापने के लिए किया जाता है। इसके 100-300 मीटर की दूरी से पकड़ने पर, यह चलाए जा रहे वाहन की वास्तविक गति पढ़ लेता है। यदि गति निर्धारित गति सीमा से अधिक होती है तो इसकी सूचना आगे खड़े पुलिसकर्मियों को पास कर दी जाती है तथा वाहन को रोक लिया जाता है व ड्राइवर पर मुकदमा चलाया जाता है।

अल्कोमीटर : इस उपकरण से शराब की मात्रा मापी जाती है। इसके लिए ड्राइवर की ब्रेथ का विश्लेषण किया जाता है। ड्राइवर को कहा जाता है कि वह उपकरण में लगे पाइप में फूँक मारे तथा ऐसा करने पर उपकरण ली गई शराब की मात्रा को प्रदर्शित कर देता है। यदि शराब की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक पाई जाती है तो मुकदमा चलाया जाता है।

इंटरसेप्टर : वाहन को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाता है ताकि नियम तोड़ने वालों पर रोक लगाई जा सके। वाहन में एक वीडियो कैमरा लगा होता है जोकि आधा किलोमीटर तक की रेंज तक नियम तोड़ने वाले की वीडियो बना सकता है। कम्प्यूटर से लेजर आधारित स्पीड रडार जोड़ा गया है जो तेज गति से चल रहे वाहनों की जाँच करता है तथा तेज चल रहे वाहन का पूर्ण विवरण सहित तस्वीर खींच लेता है। डेटा को कम्प्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है तथा मुकदमे के समय उल्लंघनकर्ता को दिखाया जाता है।

आपदा प्रबंधन वाहन : सड़क पर किसी भी आपातकाल स्थिति के कारण ट्रेफिक जाम, दुर्घटना या तूफान आदि से निपटने के लिए इस वाहन को सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। बुडकटर, आयरन कटर, एअर फिलिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, हाई मास्ट लाइट्स (जो 20 फुट की ऊँचाई पर लगी होती हैं तथा आधा किलोमीटर के क्षेत्र को जगमगा सकती हैं) जैसे उपकरण इस वाहन में उपलब्ध हैं।

मोबाइल प्रदर्शनी वेन : आम जनता एवं स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा शिक्षा देने के लिए यह बहुत ही प्रभावी माध्यम है। इसमें डिस्प्ले चैनल प्रोजेक्टर, वीसीडी प्लेयर, टेलीविजन व जनरेटर लगा होता है। चित्र प्रदर्शनी एवं फिल्म शो के माध्यम से आम जनता एवं स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा शिक्षा से अवगत कराया जाता है।

संदर्भों/पत्राचार/न्यायालय से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण : ट्रेफिक इंस्पेक्टर्स शिकायतों/संदर्भों/कार्यालयी दस्तावेजों के शीघ्रता से निस्तारण को सुनिश्चित करेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि अधिक विलम्ब ना हो, निस्तारण उचित हो तथा तय समय के भीतर-भीतर हो। वे न्यायालय में लम्बित मामलों, रिट पिटीशन, सिविल केस की पैरवी करेंगे।

पिट का सुरक्षित रख-रखाव तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 66 एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त वाहनों का निस्तारण

पिट्स की चारों ओर घेराबन्दी करके वहाँ चौबीसों घन्टे स्टाफ की तैनाती की जाए। सभी जब्त वाहनों का सही-सही हिसाब रखा जाए।

दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 66 व मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त वाहनों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाना चाहिये। जब्त वाहन एमएचसी (सर्कल) की सुरक्षित कस्टडी में रखे जाएं तथा स्टाफ की तैनाती की जाए।

आरडब्ल्यूए/एमडब्ल्यूए व आम जनता की शिकायतें सुनना: सर्कल के आरडब्ल्यूए/एमडब्ल्यूए कार्यालय से सम्बन्ध बनाए जाएं तथा उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए।

पुलिसबल प्रबंधन

- ईनाम व दंड देकर प्रोत्साहित करना
- स्टाफ, इयूटी रोस्टर से डील करते समय निष्पक्ष बने रहना।
- ब्रीफिंग एवं डीब्रीफिंग-अधीनस्थ स्टाफ-जेडओ, क्रेन स्टाफ आदि के कार्यों की समीक्षा करना।
- विश्वसनीयता
- पारदर्शिता
- प्रशिक्षण एवं निर्देशन
- प्रतिक्रिया एवं प्रभाव
- आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की तत्परता।

यातायात मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली में विशेषायुक्त पुलिस/यातायात द्वारा दिनांक 9.5.2014 को सुबह 10.00 बजे ली गई बैठक का सार

दिनांक 9.5.2014 को 10 बजे विशेषायुक्त पुलिस/यातायात द्वारा, यातायात मुख्यालय, पूसा, नई दिल्ली में ली गई बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया। संयुक्तायुक्त पुलिस/यातायात एवं अतिरिक्त आयुक्त पुलिस/यातायात/रेंजेज भी इस बैठक में उपस्थित थे:-

स.आ.पु.	निरीक्षक	उप-निरीक्षक (टीआई के रूप में कार्यरत)	कुल
14	51	2	67

1. सभी को ट्रेफिक मोबाइल एप्लीकेशन के लाभों के बारे में सूचित किया गया। इस एप्लीकेशन को लगभग 2000 मोबाइल यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। निम्न दिशा-निर्देश भी दिये गये:-
2. किसी को भी भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना चाहिये तथा किसी भी सिफारिश को नज़र अन्दाज़ करते हुए सभी के साथ समान आचरण से पेश आना चाहिये।
3. सभी को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने इलाकों के ट्रेफिक सिग्नल्स का आंकलन करते रहें तथा यदि कोई सिग्नल खराब पाएं तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। यदि किसी कारणवश देर हो तो इसे एसीपी/टी/टीई के संज्ञान में लाएं जो मामले को फर्म के सामने ले जाएंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे।
4. सभी को निर्देश दिया जाता है कि वे पिट के लिए नव आवंटित 10 प्लॉट्स का आधिपत्य लें तथा कांटेदार तारों से इसकी चारदीवारी कर दें। सभी नए/पुराने पिट्स में बिजली कनेक्शन लगाए जाएं।
5. क्षेत्र पदाधिकारियों को दुर्घटना संभावित इलाकों का निरीक्षण करना चाहिए तथा मामले को सिविक एजेंसियों के समक्ष रखकर उपचारात्मक उपाय करने चाहिये।
6. फेसबुक की परफॉर्मेंस को सुधारा जाना चाहिये तथा समय सीमा के तहत आई शिकायतों का जवाब देना चाहिये।

7. चौराहों पर तेनात स्टाफ को भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त होने की बजाय यातायात को नियंत्रित करके सुचारु रूप से चलाने पर ध्यान देना चाहिये।
8. यदि ट्रेफिक इंस्पेक्टर के अधीनस्थ भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो इसके लिए ट्रेफिक इंस्पेक्टर को भी जिम्मेदार माना जाएगा तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आउटर सर्कल में तेनात स्टाफ की गतिविधियों पर, विशेषकर रात में, नजर रखनी चाहिये।
9. ट्रेफिक इंस्पेक्टर को एरिया में मौजूद रहना चाहिए तथा आरडब्ल्यूए, स्कूल प्रबंधन, स्थानीय दुकानदारों आदि से मिलकर विभिन्न स्तर पर यातायात से संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहिये।
10. सभी अधिकारियों को अपने-अपने इलाके पर नजर रखनी चाहिये तथा भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त स्टाफ की रिपोर्ट जमा करनी चाहिए।
11. ट्रेफिक इंस्पेक्टर की ड्यूटी का एक चार्टर है। एसीपी/टीई इसे परिसंचारित करेंगे व ट्रेफिक इंस्पेक्टर्स इसके अनुसार कार्य करेंगे तथा नियमित रूप से रिपोर्ट जमा करेंगे।
12. अभियोजन के दौरान, विशेषकर बाहरी क्षेत्रों में, यदि संबंधित ट्रेफिक इंस्पेक्टर को कानून एवं व्यवस्था स्थिति बनाए रखने में कोई समस्या आती है तो वह अधिक से अधिक स्टाफ अपने साथ रखे तथा स्थानीय पुलिस की मदद भी ले।
13. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों से अन्य राज्यों में निजी बसों के संचालन से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि मामले को उचित स्तर पर ले जाया जाए।
14. ट्रेफिक इंस्पेक्टर (आधुनिकीकरण) को, स्टाफ को बारी-बारी से ड्यूटी पर लगाने के संबंध में पक्षापात से बचने के लिए जल्द से जल्द एक सॉफ्टवेयर बनाने को कहा गया।
15. रूट ड्यूटी के लिए ट्रेफिक लाइन्स में कम से कम स्टाफ होना चाहिये तथा ऐसे पुलिसकर्मी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं पाए गए हों उन्हें अन्य ड्यूटी/सर्कल में स्थानान्तरण कर देना चाहिये।
16. यातायात मुख्यालय एवं ट्रेफिक लाइन्स में स्टाफ की हाजिरी का उचित हिसाब रखने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जाने चाहिये।

अन्त में, विशेषायुक्त पुलिस/यातायात ने प्रत्येक से कहा कि वे अपनी इयूटी पूरी निष्ठा, ईमानदारी, विनम्रता एवं दृढ़ता से करें।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

(एस.एस. यादव)
अति० आयुक्त पुलिस/यातायात,
दिल्ली।

संख्या 12878-948/एचएए/याता०, दिल्ली दिनांक 21.05.2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. समस्त अति० आयुक्त पुलिस, यातायात, दिल्ली।
2. समस्त उपायुक्त पुलिस/यातायात, दिल्ली।
3. स्टॉफ अधिकारी आयुक्त पुलिस, दिल्ली को अधिकारियों के संज्ञान में लाने हेतु।
4. समस्त सहायक आयुक्त पुलिस/यातायात, दिल्ली।
5. स्टॉफ अधिकारी/निजी सहायक/विशेष आयुक्त पुलिस/यातायात और संयुक्त आयुक्त पुलिस/यातायात, दिल्ली को अधिकारियों संज्ञान में लाने हेतु।
6. समस्त निरीक्षक/यातायात, दिल्ली।
7. एचएजी/यातायात को बायोमेट्रिक सिस्टम खरीदने हेतु।
8. समस्त मुख्य सहायक/यातायात/मुख्यालय, दिल्ली।